राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : एफ 40(35)ग्रावि / नरेगा / व्य.ला.का. / पार्ट–4 / 2016 / RK- 00047 जयपुर, दिनांक 9 FEB 2018

जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान
समस्त।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन एवं सघन निरीक्षण बाबत।**

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के **कियान्वयन प्रकिया तथा कार्यो के संबन्ध में कुछ पंचायतों में अनियमितता की शिकायतों** पर विभाग द्वारा विशेष जांच कराई जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में **निम्न कार्यवाही तत्काल** किया जाना सुनिश्चित करावें–

1. जिला स्तर से योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में **प्रत्येक पंचायत समिति की ऐसी 2 ग्राम पंचायतें जिनमें व्यक्तिगत** लाभ के **कार्यों पर सर्वाधिक व्यय** हुआ हो के **पूर्ण / प्रगतिरत व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के निरीक्षण हेतु 3 सदस्यीय अन्तर विभागीय दलों** का गठन किया जावे, जिनमें **एक अभियन्ता एवं एक लेखा अधिकारी आवश्यक रुप** से शामिल हो। इन दलों द्वारा **मोटे तौर पर, मुख्य रूप से उक्त बिन्दुओं पर निरीक्षण** किया जावे। कार्यो पर यह देखा जावे कि **स्वीकृत तकमीनों में प्रस्तावित कार्य मौके पर कराए गए है अथवा नही** तथा **प्रस्तावित कार्यो की आवश्यकता की भी समीक्षा** की जावे। उक्त **दलों द्वारा किये गये निरीक्षण रिपोर्ट** के **आधार पर अनियमितता पाये जाने पर दोषी अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए मुख्यालय को** अवगत करावें।
2. सम्बन्धित **अभियन्ता** द्वारा कार्य **स्थल का मौका निरीक्षण** उपरान्त ही कार्य के **तकमीने तैयार किये** जावे एवं **आवश्यकता के अनुरूप ही कार्य प्रस्तावित** किये जावे। **कच्चे कार्य विशेष रूप से भूमि समतलीकरण, मेडबन्दी के कार्य में विशेष सावधानी** बरती जावे।
3. कार्यो, विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभ के कार्यो, के **सामग्री मद के भुगतान की लगातार प्रक्रियात्मक समीक्षा** की जावे।

4. तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 8 अनुसार निर्माण कार्यो के निरीक्षण एवं निरीक्षण के मापदण्ड निर्धारित किये हुए है, समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई जावे। आपके स्तर से प्रत्येक माह उक्त निरीक्षणों की समीक्षा की जाकर अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे एवं समय–2 पर सुधारात्मक कदम उठाये जावें। जिला कार्यक्रम समन्वयक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस के द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण केवल तभी मान्य होगें जबकि उनका इन्द्राज सम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध निरीक्षण मोड्यूल पर किये जायेगें।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निम्न Good Governance Initiatives – जॉबकार्ड का सही प्रारूप एवं अपडेशन, कार्य की पत्रावली का संधारण, ग्राम पंचायत कार्यालय में रिकार्ड संधारण, कार्यस्थल पर नागरिक सूचना पट्ट (सी.आई.बी.) की उपलब्धता के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाकर दिनांक 10 मार्च, 2018 तक मुख्यालय को अवगत करावें। उक्त निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रमाण पत्र भिजवाएं।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु समय–समय पर आपको पूर्व में भी निर्देशित किया जाता रहा है। इस क्रम में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक होने के नाते आपका दायित्व है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों की ठोस पालना सुनिश्चित करें। आपके जिले में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने की स्थिति में आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।

भवदीय

9/2/18

(रोहित कुमार)

सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रा.वि एवं पं.राज. विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि एवं पं.राज. विभाग।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि एवं पं.राज. विभाग।
4. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त।
8. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस